



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229532
CG-DL-E-10092021-229532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3357]
No. 3357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

का. आ. 3669 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3143(अ), 15 सितम्बर 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के कि.मी. 262.000 से कि.मी. 324.500 (वडोदरा - मुंबई खंड) तक के निर्माण (छह / आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 19 दिसम्बर 2020 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "दिव्य भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के कि.मी. 262.000 से कि.मी. 324.500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षेप में भूमि का विवरण। (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ग्राउंड फ्लोर, नई कलेक्टर कार्यालय भवन, भरुच)

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: भरुच			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अंकलेश्वर				
	गांव का नाम: अडोल				
1	60	निजी	एग्रीकल्चर	0.1163	लक्ष्मीबेन ठाकोरभाई पटेल, कैलाशबेन ठाकोरभाई पटेल, प्रतिमा ठाकोरभाई पटेल, नीलेश ठाकोरभाई पटेल, काश्मीरा ठाकोरभाई पटेल (६०)
2	878	निजी	एग्रीकल्चर	0.4839	कालिदासभाई जेशंगभाई पटेल (८७८)
	गांव का नाम: करमाली				
3	58	निजी	एग्रीकल्चर	1.265	किशोरभाई गोविंदभाई (५८)
	तालुक का नाम: भरुच				
	गांव का नाम: हिंगलोड				
1	160	निजी	एग्रीकल्चर	0.0637	ईशाकभाई वली बापू (१६०)
			कुल	1.9289	

[फा.सं. NHAI/Surat/15/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2021

S.O. 3669 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.3143(E), dated the 15th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (Six/Eight laning, etc.), maintenance, management and operation of Proposed Vadodara - Mumbai Expressway, on the stretch of land from design Ch.Km 262.000 to Km 324.500 (Vadodara - Mumbai Section) in District BHARUCH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “TIMES OF INDIA” and “DIVYA BHASKAR” both dated the 19th December 2020, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Vadodara – Mumbai Expressway in the stretch of land from Km 262.000 to Km 324.500 (Office of the Special Land Acquisition officer, Ground floor, New Collector office building, Bharuch) in District BHARUCH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: BHARUCH			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ankleshwar				
	Village: Adol				
1	60	Private	Agriculture	0.1163	Laxmiben Thakorbhail Patel, Kailashben Thakorbhail Patel, Pratima Thakorbhail Patel, Nilesh Thakorbhail Patel, Kashmira Thakorbhail Patel 60
2	878	Private	Agriculture	0.4839	Kalidasbhai Jeshangbhai Patel 878
	Village: Karmali				
3	58	Private	Agriculture	1.265	Kishorbhai Govindbhai 58

	Taluk: Bharuch				
	Village: Hinglot				
1	160	Private	Agriculture	0.0637	Ishakbhai Vali Bapu 160
			TOTAL	1.9289	

[F.No. NHAI/Surat/15/3D]

RAJESH GUPTA, Director